विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल.न्या.संवर्ग./2025/1287 दिनांक: 27/02/2025

1.	परीक्षा का नाम	सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2025
2.	भर्ती प्रक्रिया के नियम	राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित) [Rajasthan Judicial Service Rules, 2010] (As amended)
3.	संवर्ग	सिविल न्यायाधीश संवर्ग (Civil Judge Cadre)
4.	पदनाम	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
5.	वेतनमान	77840-136520
6.	पदों की संख्या	कुल 44 रिक्त पद
7.	ऑनलॉईन आवेदन करने की प्रक्रिया	• ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाईट को नियमित समयान्तराल पर देखते रहें। • Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं। • आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और/या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
8.	आवेदन करने की समय सीमा	दिनांक 01.03.2025 (शनिवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 30.03.2025 (रविवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	दिनांक 01.03.2025 (शनिवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 31.03.2025 (सोमवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें।** ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।	
9.	**प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, month and date of Prilimінary and Main**	**राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किये जाने की संभावना है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय/जिला मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार **राजस्थान उच्च न्यायालय** के पास सुरक्षित है। परीक्षा के

27.02.2025

	Examination)	दिनांक व माह के संबंध में सूचना प्रथक से प्रसारित की जाएगी।
10.	**परीक्षा शुल्क (Examination Fee):** –	

सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक (Candidate belonging to General, OBC-CL, MBC-CL categories and applicants of other state)	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक (Candidate belonging to OBC-NCL, MBC-NCL and Economically Weaker Sections categories of Rajasthan State)	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक (Candidate belonging to SC, ST and Ex-servicemen categories of Rajasthan State)	दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities)
रूपये 1500/–	**रूपये 1250/–**	**रूपये 800/–**	शून्य

नोट– परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को न्यायालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु आदेशित न किया गया हो।

11. **रिक्त पदों का विस्तृत विवरण**

Year	Total Number of Vacancies	General	Reserved					Persons with Benchmark Disabilities
			SC	ST	OBC	EWS	MBC	
2025	44	17 Out of which, 5 posts for women. Out of 5 posts reserved for women, 01 post for Widow	07 Out of which, 02 posts for women	05 Out of which 01 post for woman	09 Out of which 02 posts for women	04 Out of which 01 posts for woman	02	Out of 44 vacancies, 02 posts for Persons with Benchmark Disabilities, out of which **01 post for** (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; **01 post for** (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e)multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.
Backlog Vacancies of 2024		1 post for Ex-serviceman	-	-	-	-	-	**01 post for** (b) deaf and hard of hearing; **01 post for** (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; **01 post for** (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e)multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.
Backlog Vacancies of 2023		-	-	-	-	-	-	**01 post for** (b) deaf and hard of hearing;
Backlog Vacancies of 2022								**01 post for** (b) deaf and hard of hearing; **01 post for** (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e)multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

नोटः– उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

12. **विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

i. **महिलाओं** (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancies) रूप से होगा।

27.02.2025

	ii. **भूतपूर्व सैनिक** हेतु आरक्षित पद का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पद के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancy) रूप से होगा। iii. **दिव्यांगजन** हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज** (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा। iv. क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में, जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जाएगा। v. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जाएगा। vi. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। vii. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। viii. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
13.	1. **<u>विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में</u>** :– i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा। **<u>नोटः</u>**– अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। परन्तु उक्त तीन वर्ष की अवधि में, यदि अभ्यर्थी के क्रीमीलेयर में होने का कोई प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। **<u>अर्थात्</u>** वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **30/03/2025** है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक **31/03/2024** से **30/03/2025** की समयावधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक **31/03/2022** से **30/03/2024** की समयावधि में क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र, एक बार जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर दिनांक **31/03/2022** से **30/03/2024** की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। ii. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार

27.02.2025

निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध प्रमाण–पत्र (Income & Asset Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोटः– राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वित्तीय वर्ष के लिये किया जा सकता है।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **30/03/2025** है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक **01/04/2024 से 30/03/2025** की समयावधि में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक **01/04/2022 से 31/03/2024** की समयावधि में एक बार Income & Asset Certificate जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर दिनांक **01/04/2022 से 31/03/2024** की समयावधि में जारी **उक्त प्रमाण** पत्र (Income & Asset Certificate) को ही उपयुक्त **मान** लिया जाएगा।

i. भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा, यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र पेश करने पर कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना **गलत** पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद जारी प्रमाण–पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

ii. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

iii. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

iv. विधवा महिला श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम **दिनांक तक** ऐसे अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र **(Death Certificate)** प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

v. विच्छिन्न विवाह महिला **(Divorced Woman)** श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति से विवाह–विच्छेद (Divorce) हो जाने का प्रमाण **(Proof)** प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

vi. ऑनलाईन आवेदनपत्र करने की अन्तिम दिनांक तक विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन करने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ दिया जाएगा। यदि आवेदक का विवाह विच्छेद सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है तो विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देय **नहीं होगा।**

vii. विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने एवं विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में होने सम्बन्धी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

27.02.2025

14\. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification):–**

i. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि धारित ना करता हो।

(No Candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by Law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961)

ii. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों (रीति–रिवाज) का गहन ज्ञान होना चाहिए।

(Every candidate must possess a thorough knowledge of Hindi Written in Devnagari script and Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.)

नोटः– विधि स्नातक (व्यावसायिक) के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा, आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है परन्तु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी और उसका प्रमाण (Proof) मुख्य लिखित परीक्षा होने के 07 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Note:- Person who has appeared or is appearing in final year/final semester of LL.B. (Professional), shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before Main Examination and proof thereof has to be submitted to the office of Registrar (Examination), Rajasthan High Court, Jodhpur, within 07 days of holding of Main Examination.

15\. **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness) :–**

किसी व्यक्ति को **सेवा** के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त ना हो तथा ऐसे किसी दोष से मुक्त ना हो जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। भर्ती प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किसी भी आवेदक को सेवा में नियुक्ति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त (FIT) ना पाया गया हो।

16\. **राष्ट्रीयता (Nationality):–**

सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

(A candidate for appointment to the service must be a citizen of India.)

17\. **आयु (Age):–**

A candidate for direct recruitment to the cadre of Civil Judge must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January following (01.01.2026) the last date fixed for receipt of applications, provided that :–

(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 5 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes, Economically Weaker Sections and Women Candidates.

(ii) the upper age limit shall be relaxed by 10 years in case of the Ex-Servicemen. Provided that in

27.02.2025

case, permissible age after such relaxation of 10 years, work out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable.

Note- the above relaxation in age will be admissible only in one category.

(iii) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the Persons with Benchmark Disabilities. Such age relaxation shall be in addition to the age relaxation already provided to different categories in Rajasthan Judicial Service Rules, 2010.

18. **चरित्र (Character)** :–

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:–

(i) एक सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं

(ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।

19. **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment)**:–

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिए योग्य (Qualified) नहीं होगा:–

(क) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।

(ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सांविधिक निकाय (Statutory Body) या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया (Dismissed) या हटाया गया (Removed) है।

(ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है (If he was or is convicted for any offence involving moral turpitude) या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित (Debarred) या निरर्हित (Disqualified) किया गया है।

(घ) यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 25) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिका अवचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया गया हो।

(ड़) यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को/के पश्चात् उसके दो से अधिक संतान (Children) हो :

- परन्तु किसी आवेदक को, जिसके दो से अधिक संतान (Children) है, नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोतरी (Increase) नहीं होती है :
- परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्ववर्ती प्रसव (Earlier Delivery) से केवल एक ही संतान है किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव (Single Subsequent Delivery) से उसके एक से अधिक सन्तान पैदा हो जाती है, वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई (Entity) समझा जाएगा।
- परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो:

  परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

  स्पष्टीकरण:–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई सन्तान निरर्हता का गठन नहीं करेगी (Shall not Constitute Disqualification)।

	नोटः– राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 दिनांक 19.01.2010 को लागू (Commence) हुए हैं। (च) यदि वह अपने विवाह के समय दहेज (Dowry) स्वीकार कर चुका है या करता है। **स्पष्टीकरणः**– इस खण्ड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 26) में समनुदिष्ट (Assign) किया गया है।
20.	**परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):–** (i) The competitive examination for the recruitment to the post of Civil Judge shall be conducted in two stages i.e. Preliminary Examination and Main Examination. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidate who are declared qualified for admission to the Main Examination will not be counted for determining final merit. **(ii)** The number of candidate to be admitted to the Main Examination will be fifteen times the total number of vacancies (category-wise) but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks on the last cut-off will be admitted to the Main Examination. **Note:-** a. To qualify for Main Examination, the candidates of SC/ST, Persons with Benchmark Disability and Ex-servicemen category shall have to secure minimum 40% marks in the Preliminary Examination. In case of non-availability of Ex-servicemen, furthermore 5 percent relaxation shall be applied to Ex-servicemen candidates; b. To qualify for Main Examination, the candidates of all other categories shall have to secure 45% minimum marks in the Preliminary Examination. (iii) The number of candidates to be admitted to the Interview shall be, as far as practicable, three times the total number of vacancies category-wise : Provided that to qualify for Interview, a candidate shall have to secure a minimum of 35% marks in each of the Law Papers and 40% marks in aggregate in the Main Examination; Provided further that a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, Persons with Benchmark Disability and Ex-servicemen category shall be deemed to be eligible for Interview, if he has obtained minimum of 30% marks in each of the Law Papers and 35% marks in the aggregate in the Main Examination. (iv) It shall be compulsory to appear, in each and every paper of written test, as also before the Interview Board for viva voce. A candidate, who has failed to appear in any of the written paper or before the board for viva voce shall not be recommended for appointment. (v) The examination scheme for recruitment to the cadre of Civil Judge shall consist of: - **a. Preliminary Examination** (Objective Type) **b. Main Examination** (Subjective Type) **c. Interview** **a. Preliminary Examination:-** The Preliminary Examination shall be an objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for Law Paper-I and Law Paper-II, and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The maximum marks for Preliminary Examination shall be 100 in which number of questions to be asked shall also be 100. However, there shall be no negative marking for wrong answers in Preliminary Examination. The Preliminary Examination shall be conducted on OMR Answer Sheets. The duration of Preliminary

27.02.2025

Examination shall be of 2 hours. The marks obtained in the Preliminary Examination shall not be counted for determining final merit.

Syllabus for Preliminary Examination

1. **Law** : Same as prescribed for Law Paper I & II for Main Examination.
2. **Hindi Proficiency** :

   i. शब्द रचना : सन्धि एवं सन्धि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
   ii. शब्द प्रकार :
   (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
   (ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)।
   iii. शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
   iv. शब्द शुद्धि।
   v. व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरूष, काल, वृत्ति (Mood)] पक्ष (Aspect), वाच्य (Voice)।
   vi. वाक्य रचना।
   vii. वाक्य शुद्धि।
   viii. विराम चिन्हों का प्रयोग।
   ix. मुहावरे/लोकोक्तियाँ।
   x. पारिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विधिक (विशेषत:)।

3. **English Proficiency:**

   i. Tenses
   ii. Articles and Determiners
   iii. Phrasal Verbs and Idioms
   iv. Active & Passive Voice
   v. Co-ordination & Subordination
   vi. Direct and Indirect Speech
   vii. Modals expressing various concepts- (Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)
   viii. Antonyms and Synonyms.

b. **Main Examination:-** The Main Examination shall consist of following subjects:

S.No.	Subjects	Paper	Marks	Duration
1.	Law	Law Paper-I	100	3 Hours
		Law Paper-II	100	3 Hours
2.	Language	Paper-I Hindi Essay	50	2 Hours
		Paper-II English Essay	50	2 Hours
3.	Interview	--	35	--

Syllabus for Main Examination

1. **Law Paper (I)-**

Code of Civil Procedure, 1908, The Constitution of India, Indian Contract Act, 1872, The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, The Indian Evidence Act, 1872, The Limitation Act, 1963, The Specific Relief Act, 1963, The Transfer of Property Act, 1882, Interpretation of Statues, The Rajasthan Rent Control Act, 2001, Hindu Laws (i.e. Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Adoption & Maintenance Act, 1956, Hindu Succession Act, 1956, Hindu Minority & Guardianship Act, 1956), Rajasthan Court Fees & Suits Valuation Act, 1961, The Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Partnership Act, 1932, The sale of Goods Act, 1930, The Registration Act, 1908, Mohammaden Law (relating to Succession, Marriage, Divorce, Maintenance & Adoption) and Order/Judgment Writing.

2. **Law Paper (II)-**

27.02.2025

The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, The Code of Criminal Procedure, 1973, The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, The Indian Evidence Act, 1872, The Bhartiya Nyay Sanhita, 2023, The Indian Penal Code, 1860, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, The Negotiable Instrument Act, 1881, The Probation of Offenders Act, 1958, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Rajasthan Excise Act, 1950, The Information Technology Act, 2000 and Framing of Charge /Judgment Writing.

3. **Language-**

(a) Paper-I Hindi Essay

Essay Writing in Hindi Language.

(b) Paper-II English Essay

Essay Writing in English Language.

c. **Interview:-**

In interviewing a candidate, the suitability for employment to the service shall be tested with reference to his record at the School, College and University, and his character, personality, address and physique. The questions, which may be put to him, may be of a general nature and will not necessarily be academic or legal. The candidate will also be put questions to test his general knowledge including knowledge of current affairs and present-day problems. Marks shall also be awarded for the candidate's proficiency in the Rajasthani dialects and his knowledge of social customs of Rajasthan. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.

List of candidates:-

After interview, a list of the candidates shall be prepared in the order of their performance on the basis of their aggregate marks. If two or more of such candidates obtain equal marks in the aggregate, they shall be arranged in the order of merit on the basis of their general suitability for service and their names shall be recommended for appointment accordingly:

Provided that :

(i) A candidate of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Persons with Benchmark Disability category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of Written Examination and the Interview;

(ii) A candidate of Ex-servicemen category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of Written Examination & the Interview and in case of non-availability of Ex-servicemen, furthermore 5 percent relaxation shall be given;

(iii) In the case of other candidates, unless he obtains minimum 40% marks in the aggregate of written examination and the interview.

Note :

The general suitability for service of the candidates securing equal aggregate marks in Main Examination and Interview shall firstly be determined on the basis of higher marks

27.02.2025

obtained in the Interview and in case, the candidates secure equal marks even in Interview, the merit shall be determined having regard to age i.e. the candidate, older in age shall be given higher place in merit.

21. **आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):–**

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी।**
2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।
5. आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करें। इसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसा फोटोयुक्त पहचान–पत्र (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन–पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सदृश हो तथा प्रत्येक परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी वही मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा।

22. **प्रवेश–पत्र (Admission Card) :–**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश–पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किए जाएंगे तथा **डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा।** परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) **User Name** एवं (ii) **Password** एवं (iii) **Captcha Code** के आधार पर अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से **Download** कर सकेंगे।

23. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate):–**

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

24. **अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):–**

1. प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न–पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आपत्तियां, प्रति प्रश्न 250/– रूपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर, राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेगी। एक बार भुगतान की गई शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली अथवा किसी अन्य माध्यम अथवा निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान किए बिना प्रस्तुत किसी भी

27.02.2021

आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।

2. **''राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006'', के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।**

3. अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

4. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

5. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

6. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा–कक्ष/परीक्षा–केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices), पर्स या कोई हथियार इत्यादि अपने साथ लेकर नहीं आये। ऐसी किसी वस्तु या अन्य किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा कक्ष/परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय की नहीं होगी।**

7. **परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुऐं, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।**

8. **परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

9. ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश–पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/महिला/विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला/भूतपूर्व सैनिक आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

10. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड–बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा।

11. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा।

27.02.2025

	12. पेन्शन नियमानुसार देय होगी।
25.	**श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा**:– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। इस संदर्भ में ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुतलेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण–पत्र सहित रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।
26.	**अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment of irregular or Improper Means)**:– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जाएगा– (a) नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से
27.	**अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means)**:–परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
28.	**संयाचना (Canvassing)**:–नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।
29.	**हैल्प लाईन (Help Line)** :– ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु **हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों 0291–2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (**During Office Hours**) सम्पर्क करें।
30.	**वेबसाईट (Website)**:– राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट : **www.hcraj.nic.in** **नोटः– उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

17.02.2025

रजिस्ट्रार (परीक्षा)